भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1870

04 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

पीएम-एबीएचआईएम मिशन अवधि को मार्च, 2026 से आगे बढ़ाने की स्थिति

1870 श्री येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) की मिशन अवधि मार्च, 2026 में समाप्त हो गई;
(ख) यदि हाँ, तो क्या इस अवधि को मार्च, 2026 के आगे बढ़ाने की कोई योजना है, क्योंकि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम)के अंतर्गत आरंभ की गई अनेक परियोजनाएँ अभी भी प्रगति पर हैं;
(ग) क्या यह भी सत्य है कि आंध्र प्रदेश में लगभग 700 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, 45 शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों (यू-एचडब्ल्यूसी) तथा 24 गहन चिकित्सा (क्रिटिकल केयर) अस्पताल भवनों के पास अपने भवन नहीं हैं; और
(घ) यदि हाँ, तो सरकार ऐसे केंद्रों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन(पीएम-एबीएचआईएम) के अंतर्गत भवन उपलब्ध कराने के लिए क्या कर रही है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) एक केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है, जिसमें कुछ केन्द्रीय क्षेत्र (सीएस) घटक भी सम्मिलित हैं। इस योजना का कार्यान्वयन स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी, जन स्वास्थ्य कार्यवाही तथा स्वास्थ्य अनुसंधान के एकीकरण संबंधी सुधारों के माध्यम से भारत की जन स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है, ताकि जन

स्वास्थ्य प्रणाली द्वारा महामारी तथा अन्य जन स्वास्थ्य आपातस्थितियों के प्रति प्रभावी ढंग से अनुक्रिया की क्षमता को सुदृढ़ किया जा सके।

इस योजना की अनुमोदित कार्यान्वयन अवधि 2021-22 से 2025-26 तक रही। तत्पश्चात, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा योजना की अवधि में छह माह का और विस्तार, अर्थात् 1 अप्रैल, 2026 से 30 सितम्बर, 2026 तक अथवा 16वें वित्त आयोग के अंतर्गत योजनाओं के पुनर्मूल्यांकन/अनुमोदन तक, जो भी पहले हो, प्रदान किया गया है। योजना के आगे विस्तार का प्रस्ताव व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है।

पीएम-एबीएचआईएम के केन्द्र प्रायोजित योजना घटक के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य के लिए 696 भवनरहित उप-स्वास्थ्य केन्द्र–आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एसएचसी-एएएम), 45 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर (यू-एएएम), 26 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (आईपीएचएल) तथा 24 क्रिटिकल केयर ब्लॉकों (सीसीबी) के निर्माण/सुदृढ़ीकरण एवं स्थापना हेतु 1,118.80 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। अनुमोदित 696 एसएचसी-एएएम विशेष रूप से वर्तमान में भवनरहित उप-स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए भवन निर्माण हेतु स्वीकृत किए गए हैं।

पीएम-एबीएचआईएम के अंतर्गत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित स्वास्थ्य अवसंरचना के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। भवन निर्माण सहित अनुमोदित परियोजनाओं का कार्यान्वयन योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

*****